फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर   मुकाम अलवर

रूपसिंह मीणा वगैरा बनाम ईसाक वगैरा

किस्म मुकदमा दावा   रा0का0अधि0 .... नं0 ....119.... सन् 8/7/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.07.2022	वकील वादी ने मूल वाद पेश किया दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो दिनांक 26.08.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
26/8/22	वकील वादी उप./प्रति. ५,९,१० की ओर से श्री भानुप्रताप Ad. ने वकालतनामा प्रति. 3 व 11 की ओर से प्रा.पत्र O7 R11 CPC पेश किया। वास्ते जवाब/बहस प्रा.पत्र दिनांक 6/9/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

पत्रावली पेश हुई। उपस्थ ... पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक...15.09.22 को पेश हो।

रीडर

15/9/22

पत्रावली पेश हुई उपस्थ ... पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक...21/9/22... को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

21/9/22 वकुलाप उप०। प्रापत्र की नकल दिलाई गयी। वादि बयानी प्रतिज्ञा हेतु राजि सावाग एवं बयान। बहस 5C·07R11 CPC हि० 7-10-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

U.T. No.-2 अधिकारी [illegible] (आज्ञ प्र[illegible])

7/10/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक...12/10/22 को पेश हो।

रीडर

12/10/22 वकुलाप उप०। वादि बयान। बहस 5C·07R11 CPC समय चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है हि० 21-10-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

21/10/22 वकुलाप उप०। जवाब 5C· पेश किया वादि बहस हि० 28-10-22 को पेश हो।

28/10/22 वकुलाप उप०। बहस सुनी गई। वादि आदेश हि० 7-11-22 को पेश हो।

7/11/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक..16/1/23 को पेश हो।

रीडर

16/1/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक..8/5/23... को पेश हो।

रीडर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	22-3-23 पत्रावली अपीलार्थी सं० 9 एवं उसके वकील के प्रार्थना-पत्र पर तलब की गई प्रा०पत्र पर जल्द सुनवाई का निवेदन किया गया प्रा०पत्र पर सुना गया, काफी मनन करने के उपरान्त प्रा०पत्र पर वकील प्रार्थी को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 06-4-23 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	6-4-23 पत्रावली पेश हुई वकील वादी की अदम तामील प्राप्त, वकील वादी तामील पर ही अंकन किया है कि पार्टियान को तामील करावें अत: प्रार्थीयान को नोटिस सम्मन जारी हो पत्रावली दिनांक 19-4-23 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	19-4-23 बमुताबिक उपस्थित पत्रावली वादी बहस 07 P.11 वादी पत्रावली दि० 20-4-23 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	[signatures]

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20-4-23	मुकदमा अवलोकित पत्रावली वास्ते बहस 07 R 11 वास्ते, पत्रावली दि० 05-5-23 को पेश होवे उपखण्ड अधिकारी अलवर
05-5-23	मुकदमा अवलोकित प्रा०पत्र 07 R 11 पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05-6-23 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर 5-6-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 15-6-23 को पेश हो। रीडर
15-6-3	मुकदमा अवलोकित पत्रावली वास्ते आदेश दि० 20-6-23 को पेश होवे उपखण्ड अधिकारी अलवर
20-6-23	मुकदमा अवलोकित प्रा०पत्र 07 R 11 का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया प्रा०पत्र 07 R 11 स्वीकार हो चुका है अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज हो चुका है पत्रावली नकल के काम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री अशोक त्यागी (आर.ए.एस.)

दावा संख्या
1/119

तारीख दायर
08.07 .2022

तारीख निर्णय
20 –6–2023

उनवान

01:–रूपसिंह मीणा पुत्र स्व. श्री बोदनलाल मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम रूपबास तहसील अलवर जिला अलवर

—वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

01:–ईसाक पुत्र काले खॉ
02:–आजाद पुत्र काले खॉ
03:–सकीना स्त्री ईसाक
04:–साकिर पुत्र ईसाक
05:–सबरंग पुत्र ईसाक
06:–ताहिरा पुत्र ईसाक
07:–कु0निक्की पुत्री ईसाक
08:–ताहिर पुत्र ईसाक
09:–शाहरूक पुत्र ईसाक निवासीयान ग्राम केसरपुर तहसील अलवर
10:–मोहम्मद तारीफ पुत्र नबाब खॉ जाति मेव निवासी ईटाराणा की झोपढी, भजीट तहसील अलवर
11:–तहसीलदार अलवर

—प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 20–06.2023

वकील वादी ने वाद दावा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधिनियम पेश किया। वाद मे अंकित आराजी खसरा नम्बर हाल 310 रकबा 0.65 है0, किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर के विचाराधीन रहते हुऐ वकील प्रतिवादी स0 3 लगायत 9 के वकील श्री भानूप्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने मोजूदा वाद इकरारनामा दिनॉक 15–11–2014 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कानूनन किसी भी इकरारनामे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार खातेदारी अथवा टिनेट के प्राप्त नही हो सकते है कथित इकरारनामा जिसके आधार पर वादी ने मौजूदा वाद प्रस्तुत किया है वह महज 100 रूप्ये के स्टाम्प पर निष्पादन किया जाना बताया है और

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

जो एक अंपंजीकृत दस्तावेज है कानूनन इकरारनामा का पूर्ण स्टाम्पित होना व पंजीयन होना आवश्यक है कथित इकरारनाता के तहत स्वय वादी के कथनानुसार उसने पूर्ण प्रतिफल राशि भी अदा नही की है और ना ही कथित इकरारनामा के आधार पर वादी को विवादित आराजी का कब्जा दिया जाना दर्ज किया गया है। वादी ने मौजूदा वाद धारा 188 राज0 का0 अधि0 के तहत पेश किया है कानूनन धारा 188 रा0का0अधि0 के अनुसार केवल एक टिनेंट ही वाद प्रस्तुत कर सकता है वादी ना तो विवादित आराजी का टिनेंट है और ना ही काबिज है इन हालात मे वादी का मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है एंव मौजूदा वाद धारा 188 रा0 का0 अधि0 चलने योग्य नही है एंव आदेश 7 नि 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज फरमाया जाने योग्य है। इसके अलावा प्रतिवादी स0 1 ईसाक जिसके खिलाफ भी मौजूदा वाद प्रस्तुत किया गया है का स्वर्गवास हो चुका है एंव वादी मृतक व्यक्ति के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया है जो भी चलने योग्य नही है।अतः उपरोक्त सभी ऐतराज एक कानूनी ऐतराज है और अव्वल उपरोक्त ऐतराजात पर विचार करते हुये वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वकील वादी द्वारा जवाब पेश किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ला. 9 की माता/सास/दादी भावती पत्नी काले के द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित आराजी में अपने 1/5 हिस्से में से 1/2 भाग का तथा अन्य प्रतिवादी संख्या 3 ला.9 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का यानि कुल 32.5 ऐयर भूमि का जो भूमि मौके पर पैमायश अनुसार 2805 ऐयर मुतनाजा पर कब्जा होना जाहिर करते हुए अपने तमाम हक हकूक खातेदारी काश्तकारी के जो प्रतिवादीगण को आज तक प्राप्त हैं व आयन्दा इस भमि पर प्राप्त होगें व पेड–पौधों डोली, डाली सहित मौके पर भूमि की पैमायश 28.5 ऐयर भमि का बेचान का सौदा दिनांक 15.11. 2014 को तैदादी 1,21,50,000/–रूपया प्रति बीघा (25.29 ऐयर का 1 बीघा मानते हुए) की दर से कुल बैय रकम मुबलिग 1,36,92,170/– रूपया में वादी हक व पक्ष में किया और उसी रोज दिनांक 15.11.2014 को भावती व अन्य प्रतिवादी संख्या 3 ला.9 ने मिन वादी से तय बैय रकम से साई बतौर 13,69,000/– रूपया नगद प्राप्त किए और सही प्रकार दस्तावेज इकरारनामा बैय 100/– रूपया के स्टाम्प पेपर व तीन सादा पेपर पर मय प्राप्ति रसीद तहरीर तकमील कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया गया, गवाही गवाहान कराई गई। जिस इकरारनामा में यह तय हुआ कि बकाया बैय रकम आज से उपरोक्त विक्रय की गई भूमि अपने हिस्से की आराजी का तकासमा कराने के पश्चात उसके 15 माह के अंदर प्रतिवादी संख्या 3 ला.9 व अन्य भावती पत्नी काले खां मिन वादी से लेकर मुताबिक शर्त बयनामा करायेगे अन्यथा जर्ये अदालत वादी अपने हकूक सुरक्षित करने का अधिकारी होगा और उक्त विक्रयशुदा भूमि पर प्लाटिंग करने, नक्शा ले आउट प्लान बनवाने, ग्राहको को प्लॉट दिखाने, सडक नाली का निर्माण आदि कराने का वादी अधिकारी होगा तय हुआ उक्त भमि पर प्लॉटिंग आदि कार्य हेतु मौखिक कब्जा भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को सौंपा गया। वादी उक्त भूमि का बोनाफाईड परचेजर हैं। मुताबिक इकरारनामा बैय मिन वादी प्रतिवादीगण से बकाया बैय रकम अदा कर बयनामा कराने को तैयार व तत्पर हैं लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इकरारनामा में दर्ज शर्त अनुसार अपने हिस्से की भूमि का तकासमा नहीं कराया हैं ना ही अलग–अलग खाताबंदी कायम कराई है। ऐसी सूरत में क्रयशुदा भूमि का बयनामा कराया जाना संभव नहीं हो रहा हैं। विक्रेता भावती का देहान्त हो गया है जिसके वारिस प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 व 2 है। मुताबिक इकरारनामा बैय दिनांक 15.11.2014 में दर्ज शर्तो से प्रतिवादीगण पाबन्द हैं और प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय की गई भूमि की बाबत् वादी के हक में बयनामा कराने को हरहाल में पाबन्द है। जिससे प्रतिवादीगण जानबूझकर बरायबंदयाती व लालचवश गुरेज कर रहे हैं। जिन्हे ऐसा करने का करार भंग करने का कोई कानूनी हक नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय की गई भूमि वादी बोनाफाईड परचेजर है और तय शर्त अनुसार उक्त भूमि पर प्लॉटिंग करने, सडक, नाली बनाने हेतु वादी को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा भी सौपा हुआ हैं। अन्य तथ्यों की बाबत् वादी को कोई जानकारी नहीं है। उक्त दस्तावेज इकरारनामा बैय के अपंजीकृत होने से वादी क्रेता को प्राप्त टाईटल का हनन नहीं होता है। उक्त इकरारनामा बैय दिनांक 15.11.2014 ताहाल प्रभावी है। यह है कि प्रार्थना–पत्र का पैरा नम्बर 3 में जिस प्रकार का बयान किया गया है गलत हैं स्वीकार नहीं है। धारा 188 राज. काश्तकारी अधि. के तहत् टाईटलधारी चाहे वो रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हो या बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से मालिक हो अपने हकूक की सुरक्षा वाद ला सकता है। इसी के तहत् वादी उक्त अनुवानी वाद लेकर आया है। प्रतिवादीगण बरायबंदयाती लालचवश इकरारनामा बैय दिनांक 15.11.2014 में दर्ज शर्तो की उल्लंघना कर रहे है। जिन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीगण काबिले खारिज है। यह कि प्रार्थना–पत्र का पैरा नम्बर 4 जिस प्रकार बयान किया गया हैं के संदर्भ में कथन हैं कि वक्त दायरी वाद प्रतिवादी ईशाक के फौत होने की जानकारी मिन वादी को नहीं रही जिसमें मिन वादी की कोई बदायांती नहीं रही है। प्रार्थन–पत्र पैरा नम्बर 5 जिस प्रकार बयान किया गया हैं गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। विवादित आराजी में से क्रयशुदा उक्त भूमि की बाबत् मिन वादी बोनाफाईड परचेजर मालिक हैं और मुताबिक इकरारनामा बैय में दर्ज अनुसार वादी को बेची गई भूमि पर प्लॉटिंग करने, सडक, नाली बनाने आदि कार्य के लिए वादी को कब्जा भूमि सौपा हुआ हैं साबित है। चूंकि विवादित आराजी की बाबत् रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज हैं इसी की आड में वो विवादित आराजी दीगर को रहन बय हिबा आदि करने का अमादा है। इसलिए उक्त अनुवानी दावा हकूको की सुरक्षार्थ अदालत श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया हैं। प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीगण शुद्धहस्त पर आधारित नहीं है जो काबिले खारिज है।

वादीगण विवादित आराजी से गैरकाबिज एंव गैरवास्ता शख्स है वादीगण ने मौजूदा दावा गलत तथ्यो को आधार बनाकर विधि के प्रावधानो के खिलाफ एंव वास्तवित तथ्यो का जानबूझकर छिपाते हुये बराय बदयांति प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान वाद वादीगण द्वारा तथाकथित इकरारनामा दिनॉक 11–7–2000 को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है तथाकथित इकरारनामा अव्वल तो फर्जी एंव कूटरचित है दूसरे कानूनन इकरारनामा के आधार पर खातेदारी हकूक प्रदत्त नही किये जा सकते है तथा दावा वादीगण मेन्टेनेबिल नही है ऐसी स्थिति मे मौजूदा दावा दायर करने के लिये वादीगण को कोई युक्तियुक्त वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है जिससे दावा वादीगण काबिल खारिज है। यह है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध मे वादीगण द्वारा तथाकथित इकरारनामा दिनॉक 11–07–2000 के आधार पर मिन प्रतिवादीगण के खिलाफ 06–12–2021 को तकमील मुहायदा बैय का दावा न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय अलवर के यहा पेश किया गया था जिसमे आगामी पेशी दिनॉक 11–04–2023 की नियत है किन्तु इन तथ्यो को छिपाते हुये वादीगण द्वारा मौजूदा दावा दायर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है जो काबिले खारिज है जब तकमील मुहायदा बैय का दावा तथाकथित इकरारनामा के आधार पर वादीगण द्वारा पूर्व से ही सिविल न्यायालय मे पेश किया हुआ है किया हुआ है और दावा विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति मे मौजूदा दावा पश्चातवर्ती दावा अदालत श्रीमान के समक्ष कतई चलने योग्य नही है जिससे भी दावा वादीगण काबिल खारिज है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा उपरोक्त आधारो पर इसी स्तर पर मय विशेष हर्जा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ला. 9 की माता/सास/दादी भावती पत्नी काले के द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित आराजी में अपने 1/5 हिस्से में से 1/2 भाग का तथा अन्य प्रतिवादी संख्या 3 ला.9 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का यानि कुल 32.5 ऐयर भूमि का जो भूमि मौके पर पैमायश अनुसार 28.5 ऐयर मुतनाजा पर कब्जा होना जाहिर करते हुए अपने तमाम हक हकूक खातेदारी काश्तकारी के जो प्रतिवादीगण को आज तक प्राप्त हैं व आयन्दा इस भमि पर प्राप्त होगें व पेड–पौधों डोली, डाली सहित मौके पर भूमि की पैमायश 28.5 ऐयर भमि का बेचान का सौदा दिनांक 15.11.2014 को तैदादी 1,21,50,000/–रूपया प्रति बीघा (25.29 ऐयर का 1 बीघा मानते हुए) की दर से कुल बैय रकम मुबलिग 1,36,92,170/– रूपया में वादी हक व पक्ष में किया और उसी रोज दिनांक 15.11.2014 को भावती व अन्य प्रतिवादी संख्या 3 ला.9 ने मिन वादी से तय बैय रकम से साई बतौर 13,69,000/– रूपया नगद प्राप्त किए और सही प्रकार दस्तावेज इकरारनामा बैय 100/– रूपया के स्टाम्प पेपर व तीन सादा पेपर पर मय प्राप्ति रसीद तहरीर तकमील कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया गया,

तथा वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि वाद मे अंकित आराजी खसरा नम्बर हाल 310 रकबा 0.65 है0, किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर का वादीगण ने मोजूदा वाद इकरारनामा दिनॉक 15–11–2014 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कानूनन किसी भी इकरारनामे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार खातेदारी अथवा टिनेट के प्राप्त नही हो सकते है कथित इकरारनामा जिसके आधार पर वादी ने मौजूदा वाद प्रस्तुत किया है वह महज 100 रूप्ये के स्टाम्प पर निष्पादन किया जाना बताया है और जो एक अंपंजीकृत दस्तावेज है कानूनन इकरारनामा का पूर्ण स्टाम्पित होना व पंजीयन होना आवश्यक है कथित इकरारनामा के तहत स्वय वादी के कथनानुसार उसने पूर्ण प्रतिफल राशि भी अदा नही की है और ना ही कथित इकरारनामा के आधार पर वादी को विवादित आराजी का कब्जा दिया जाना दर्ज किया गया है। वादी ने मौजूदा को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार करते हुये वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

तथा वकुलाय द्वारा अपनी ताईद मे RRT 2019(1) 268 बाबूराम बनाम गणेश ,एंव 2019 (2) RRT 1100 हरिराम बनाम प्रतपती बाई, 2017(2) RRT 1100 भाकर राम बनाम सुजाराम वगैरा, पेश की गई।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सीपीसी 1908 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी इस प्रकार से दर्ज है कि :–

(क) जहॉ वह वाद–हेतुक प्रकट नही करता है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

(ख) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक न्यायालय करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है
(ग)जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है,
(घ)जहॉ वादपत्र मे के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है
(ड)जहॉ वह दो प्रतियो मे फाईल नही किया जाता है
(च)जहॉ वादी नियम 9 के उपबन्धो का अनुपालन करने मे असफल रहता है।

मेरे द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मूल वाद एंव उसमे चल रही कार्यवाही के अभिवचनो पर गम्भीरता से मनन किया साथ ही उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का कथन वकुलाय से मिलान करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर हाल 310 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर के राजस्व रिकॉर्ड मे कृषि भूमी के रूप मे दर्ज है और साथ ही प्रार्थी द्वारा जो राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत पेश किया गया है परन्तु वाद पत्र वादी द्वारा 100/–रूपये के अनरजिर्स्टड स्टाम्प पेपर पर जो कि बतौर साई दी गई रकम के आधार पर किया गया है स्टाम्प पेपर मे अंकन के अनुसार पूर्ण भुगतान भी नही हुआ है तथा एग्रीमेन्ट नाही सम्बधित उप पंजीयक कार्यालय मे रजिर्स्टड कराया गया है। वादी उपरोक्त स्थिति में Tenant की श्रेणी में नहीं आने से वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे Cause of Action, Barred by Law का अभाव होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है वाद वादीगण खारिज किया जाता है वादी/परिवादी अपना अपना खर्चा वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 20 .06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner